न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 9/2018

प्रार्थी:—
बाबूसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति राजपुरोहित,निवासी कुआरडा हाल—भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण:—
1.ग्राम पंचायत निम्बला, जरिये सरपंच/ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत निम्बला
2.गणपतसिंह पुत्र लादूसिंहजी, जाति राजपुरोहित,निवासी कुआरडा, तहसील आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बला,दिनांक 5.6.2017(निर्माण अनापति प्रमाणपत्र) तथा दिनांक 6.7.2017(पट्टा सं.51)

उपस्थिति :—
1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री ललित खत्री , अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 17.3.2020

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कुआरडा में खेत खसरा नम्बर 7 रकबा 1.53 हेक्टर में प्रार्थी सहखातेदार है, इस भूमि का कानूनी बंटवाडा खातेदारों के बीच किया हुआ नहीं है, भूमि अविभाजित है, उक्त भूमि का आवासीय संपरिवर्तन भी किया हुआ नही है फिर भी ग्राम पंचायत ने कृषि भूमि के पट्टे देने में तथा निर्माण अनुमति देने में उनका क्षैत्राधिकार न होते हुए भी अप्रार्थी सं.2 गणपतसिंह को अनापति प्रमाणपत्र व पट्टा सं.51 जारी कर दिया। खातेदारी भूमि में निर्माण हेतु अनापति प्रमाणपत्र देने अथवा पट्टा देने का अधिकार अप्रार्थी सं.1 को नही है, ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा राजस्थान पंचयती राज अधिनियम 1996 के नियम 157—(1) के अधिन जारी किया गया है । पट्टा सं.51 जो दिनांक 6.7.17 को अप्रार्थी गणपतसिंह के नाम जारी किया गया है उसमें न तो खसरा नम्बर लिखा है और न ही उक्त भूमि आबादी में होना ही लिखा है।पट्टा

जारी करने का ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 27.10.17को हुआ जब सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र सं. 214/2017 ,बाबुसिंह बनाम गणपतसिंह वगैराह में गणपतसिंह ने जवाब दिया,उस जवाब में अनापति प्रमाणपत्र तारीख 5.6.2017 को जारी करने का तथा पट्टा सं.51 दिनांक 6.7.17 जारी करने का लिखा , तब दिनांक 27.10.17को ज्ञान हुआ जिस पर ग्राम पंचायत निम्बला में नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया मगर ग्रामसेवक ने प्रार्थनापत्र नहीं लिया, तब रजिस्टर्ड ए.डी. नकले मांगी मगर रजिस्टर्ड ए..डी नही ली, तब सूचना के अधिकार के तहत् पुनःरजिस्टर्ड ए.डी. से नकल मांगने का पत्र भेजा जो दिनांक 1.12.17को वापिस भेजा कि प्राप्तकर्ता ने लेने से मना किया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अनापति प्रमाणपत्र व पट्टे की नकल जानबूझकर नही दी जा रही है,इस कारण फोटो प्रति जो एस.डी.ओ.कोर्ट में जवाब के साथ प्रार्थी को दी उसी आधार पर निगरानी पेश की है जो अन्दर म्याद है। ग्राम पंचायत अप्रार्थी सं.1द्वारा इसी खसरा नम्बर 7 में कांतिलाल पुत्र शिवलाल, अनिलसिंह पुत्र शिवलाल, देवीसिंह पुत्र शिवलाल ,चंपालाल पुत्र प्यारसिंह व मोहनसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपुरोहित को भी गलत ढंग से पट्टे जारी किये थे जिनकी निगरानी पेश करने पर निगरानी दिनांक 22.9.14कौ फैसल हुई तथा सभी में खातेदारी में गलत पट्टे जारी होना मानकर पट्टे निरस्त किये है । अतः अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2–गणपतसिंह को जारी निर्माण अनापति प्रमाणपत्र व पट्टा सं.51 को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ पट्टे व अनापति प्रमाणपत्र की फोटो प्रति आदि नकले पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.2 के वकील ने जवाब पेश नही किया है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा अप्रार्थी सं.1 को अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 5.6.17 व पट्टा सं.51 दिनांक 6.7.17को खातेदारी में जारी किया गया है जो निरस्त करावे । इसके विपरीत अप्रार्थी सं.2 के वकील ने बहस में बताया कि मौका रिपोर्ट मे अप्रार्थी सं.2 का नाम क्रम सं. 13पर दर्ज है जिससे अप्रार्थी का 28X14 =392 वर्गफीट पर कब्जा दर्शाया है जबकि पट्टा 44X35/2 गुणा 36X47 =1639.25 वर्गफीट का जारी हो रखा है जो यह बताता है कि पट्टा सुदा भूमि खसरा नम्बर 7 की भूमि से भिन्न है।मौका रिपोर्ट में वर्णित नाप पट्टो की भूमि के पडौस के रूप में अंकित नही है जो यह बताता हैं कि पट्टासुद भूमि गांव की आबादी की अन्य भूमि है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाल की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व दल द्वारा ग्राम कुआरडा के खसरा नम्बर 7 रकबा 1.53 हेक्टर खातेदारी भूमि का दिनांक 19.6.14 को सर्वे किया जिसमें 49 व्यक्तियों के पक्के मकान/चारदीवारी/बाडे/कब्जा पाया गया। उक्त सूचि के क्रम सं. 13पर अप्रार्थी गणपतसिह पुत्र लादूसिंह का 28X14=392 वर्गफुट का पक्का मकान पाया गया।

उक्त पट्टा सं.51 दिनांक 6.7.17 का ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा अप्रार्थी सं.2–गणपतसिंह पुत्र लादूसिंह राजपुरोहित के पक्ष में 182.13 वर्गगज का जारी किया गया है,उसके उतर में पडौस खसरा नम्बर 7 दर्शाया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा आबादी के किस खसरे में जारी किया हैं , पत्रावली में अंकित नही है तथा न ही पटवारी का प्रमाणपत्र अंकित है। कृषि भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है।

आदेश

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा सं.51 दिनांक 6.7.17 जो ग्राम कुआरडा के खसरा नम्बर 7 में अप्रार्थी सं.2 को जारी किया गया है जो क्षैत्राधिकार से बाहर होने से खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा अप्रार्थी सं.2 को जारी अनापति प्रमाणपत्र कमांक ग्रा.पं.नि./निर्माण करने/17–18/47दिनांक 5.6.17 भी खारिज किया जाता हैं। मौके पर अप्रार्थी सं. 2 का खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7 में कब्जा हो तो तहसीलदार आहोर इनके विरूद्ध की धारा 90–ए की नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिलापरिषद जालोर को सबंधित तत्समय सचिव ,ग्राम पंचायत निम्बला के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो। LR Act

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 17.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर